

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


52AE 112683

बेदान्ता हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर विलरियागंज रोड लछिरामपुर आजमगढ़

--- प्रथम पक्ष

सर्व पैथालाजी कैम्पस बेदान्ता हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर विलरियागंज रोड लछिरामपुर आजमगढ़ ---- द्वितीय पक्ष

यह कि हम प्रथम पक्ष विशाल जायसवाल प्रवन्धक बेदान्ती हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर विलरियागंज रोड लछिरामपुर आजमगढ़ का हूँ तथा मेरे कैम्पस में द्वितीय पक्ष सर्व पैथालाजी का संचालन होता है जिसके प्रो० मेरे प्रथम पक्ष है । दोनों का संचालन मेरे ही देख रेख में होता है। प्रथम पक्ष का उक्त हास्पिटल व रिसर्च सेन्टर व पैथालाजी एक दूसरे का अंग माना जाय।




S. S. Khan
हो प्रथम पक्ष

ATTESTED

०८३३ वेदा-दा हाकिमदल एण्ड रिस्की केरा सिविलियन

शमीम अहमद
०५/०७/०२

शमीम अहमद ला० नं०-३२७
कलेक्टेट, आजमगढ



25AE 115883

UTTAR PRADESH

मि. श्री. शमीम अहमद, निवासी, आजमगढ, आजमगढ जिला, उत्तर प्रदेश, भारत, कोर्ट के सामने आया है कि वह अपने पिता, श्री. ... के नाम पर एक प्रपर्टी का दस्तावेज बनवाया है जो वास्तव में ... का है। ... कोर्ट ने इस दस्तावेज को रद्द कर दिया है।

शमीम अहमद



Provisional registration No:0919100007

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH****District Registering Authority
AZAMGARH****CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION**

This is to certify that **VEDANTA HOSPITAL & RESEARCH CENTRE** located at **Billariyaganj Road, Lachhirampur**, owned by **SHISHIR JAISWAL** has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a **Hospital, MULTISPECIALITY, Pathology, Haematology, Biochemistry, Microbiology, Collection Centre** under **Allopathy** System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

DRA: Azamgarh

Designation of the Issuing Authority

Place: Azamgarh

Date of Issue: 15/10/2022

*Terms and Conditions of Registration**

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

**Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.*

<http://www.clinicalestablishments.gov.in/AuthenticatedPages/DRA/Provisional.aspx?StatusId=QqF1392%2fBps%3d5&DistrictId=DNRMlg%2f7kWA%3d> Date: 15/10/2022

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़

पत्रांक:—एम-1/2022-23 / 9834

दिनांक :16/09/2022

प्रबंधक,

वेदांता हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर

लछिरामपुर, आजमगढ़

आपके पत्र संख्या:-मेमो दिनांक:-14-09-2022 के क्रम में अवगत कराना है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या :-11फ/2020-21 लखनऊ दिनांक:-21 मार्च 2022 के द्वारा सर्व पैथालॉजी वेदांता हास्पिटल के युनिट के रूप में संचालित है। वेदांता हास्पिटल मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ पंजीकृत है। जिसका पंजीकरण संख्या – 0919100007 है

अतः सर्व पैथालॉजी यूनिट आफ वेदांता हास्पिटल के पंजीकरण पर संचालित किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्साधिकारी

आजमगढ़



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आजमगढ़

सहमति आदेश पत्र

संख्या 54/बी0एम0डब्लू-93/2020-21

दिनांक 31-12-20

विषय : सहमति मेसर्स वेदान्ता हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, लछिरामपुर, आजमगढ़ वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ : आवेदन संख्या

शून्य

दिनांक 26.12.2020

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त सहमति आवेदन प्रपत्र मेसर्स वेदान्ता हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, लछिरामपुर, आजमगढ़ को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक..... 31.12.20..... से30.12.23 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्धित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

संलग्नक : अनुलग्नक (सहमति शर्तों)

क्षेत्रीय अधिकारी